रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2009/चैत्र 2, 1931
No. 504] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2009/CHAITRA 2, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2009

का.आ. 815(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना सं. का.आ. 660(अ), तारीख 27 सितम्बर, 1996, सं. का.आ. 638(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 और सं. का.आ. 572(अ) तारीख 7 जुलाई, 1998 द्वारा हरियाणा और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के क्रमशः 36.630 कि. मी. से 162.500 कि. मी. (गुड़गांव से कोटपुतली खंड), 162.500 कि. मी. से 248.000 कि. मी. (कोटपुतली से जयपुर खंड) और 248.000 कि. मी. से 273.500 कि. मी. (जयपुर बाईपास खंड) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर बाईपास के 42.700 कि. मी. से 220.500 कि. मी. और जयपुर बाईपास जोन डी और सी जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 220.500 कि. मी. से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 273.500 कि.मी. पर मिलता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है), को छह लेन का बनाने के लिये मैसर्स जिकसोटी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 10 और 11, डॉक्टर राधाकृष्णन सलाई, चौथी मंजिल, चेन्नई सिटी सेंटर मयलापोर, चेन्नई-600004 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 305(अ), तारीख 7 मार्च, 2006 और सं. का.आ. 1935(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 42.700 कि. मी. से 273.500 कि. मी. (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर बाईपास खंड), तक के खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिधान पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को नियत तारीख या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन इनमें से जो पश्चात् हो की तारीख से ही करार में यथा विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

रियायतग्राही नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 42.700 कि. मी. से 273.500 कि. मी. तक (गुड़गांव– कोटपुतली– जयपुर बाईपास खंड) के उपयोग के लिए फीस उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस की आधार दर पर संगृहीत और प्रतिधारित करेगा

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	प्रति यान प्रति कि. मी. प्रति फेरा में आधार फीस की दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्का वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक/बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>दो धुरीय)*	2.25

*बहुधुरी यान जिसमें अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिर्माण मशीनरी यान सम्मिलित होंगी ।

टिप्पण :

1. फीस तीन फीस प्लाजा 115.000 कि. मी. (शाहजहांपुर), 211.000 कि. मी. (मनोहरपुर) और 241.000 कि. मी. (दौलतपुर) पर स्थित पथकर प्लाजा पर संगृहीत की जाएगी ।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(i) "वास्तविक फीस" से निम्नलिखित के आधार पर व्युत्पन्न उक्त खंड या इसके किसी भाग के सड़क प्रयोक्ताओं से प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है :

(क) किसी विशिष्ट फीस प्लाजा को समनुदेशित परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, और

(ख) इस अधिसूचना की सारणी में दी गई आधार फीस, और जो एक रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "नियत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको रियायत अवधि आरंभ होती है ।

(iii) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" से निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले प्रयोक्ता अभिप्रेत हैं :

(1) ऐसे ग्रामों या कस्बों या शहर के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) से 10 कि. मी. के घेरे के भीतर आती है ।

(2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयां ।

(3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी, जिनके कार्यालय फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं; और

(4) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है ।

(iv) "स्थानीय यातायात प्रकार II" में निम्नलिखित प्रवर्ग में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत हैं और इसमें सम्मिलित हैं :—

(1) ग्रामों या कस्बों या शहर के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है ।

(2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि. मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयां ।

(3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी जो फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु टोल प्लाजा से 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या जिनका कार्यालय स्थित है ।

(4) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि. मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है।

(v) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है;

(vi) शब्द और पदों को जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त खंड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में क्रमशः उनके हैं ।

3. फीस और उसके पुनरीक्षण जो प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी होता है की दर की संगणना निम्नानुसार की जाएगी :—

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{डब्ल्यू पी आई–बी}}{\text{डब्ल्यू पी आई–ए}} \times \text{किसी विशिष्ट फीस प्लाजा को समनुदेशित लम्बाई (कि.मी. में)}$$

जहां

डब्ल्यू पी आई–ए = जून 1997 (131.4) को यथा विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है ।

डब्ल्यू पी आई-नी-फीस पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औसत थोक कीमत सूचकांक है।

डब्ल्यू पी आई से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है।

4. जब एक ही यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का 1.5 गुना संदाय कर दे। यदि उसी यांत्रिक यान को उक्त खंड का पूरे मास में निरंतर और बार-बार या इसके परे भी प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी पूर्वोक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण:—"दिन" पद से चौबीस घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे यान—

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं—

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनको हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठे हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य की किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(ii) रक्षा यान, जिसके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा-विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान।

6. रियायतग्राही निम्नलिखित दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:

(क) कार/जीप/वैन के लिए

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1: 150.00 रुपये का मासिक पास

(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2: 300.00 रुपये का मासिक पास

(ख) **बसों के लिए**: राज्य परिवहन बसों की दशा में मासिक पास ऐसे सक्षम प्राधिकारी के (जो महाप्रबंधक राज्य सरकार सड़क परिवहन की पंक्ति से नीचे का न हो) उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर यान के लिये निर्धारित एकल फेरे की फीस का तीस गुना संदाय करने पर मासिक पास जारी किये जाएंगे और निजी स्थानीय प्रचालकों की दशा में जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए उनके परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किये जाने पर यान के लिए निर्धारित एकल फेरे की फीस का तीस गुना संदाय करने पर मासिक पास जारी किये जाएंगे।

(ग) **स्कूल बसों के लिए**: स्कूल छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक हजार रुपये की मासिक दर से मासिक पास जारी किये जाएं।

(घ) **हल्के वाणिज्यिक यान/ट्रक (स्थानीय परिवहन प्रचालक)**: स्थानीय परिवहन प्रचालकों से 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलाने का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की आपसी के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अंतिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर रियायती फीस ली जाएगी। ऐसे परिवहन के लिए, प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये पच्चीस रुपये और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए पन्द्रह रुपये की फीस होगी;

7. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाता है तो रियायतग्राही ऐसी सेवा लेन (लेनों) के प्रयोक्ताओं से कोई फीस संगृहीत नहीं करेगा।

8. फीस प्लाजा से गुजरने वाले और संपूर्ण परियोजना राजमार्ग अथवा उसके किसी भाग का उपयोग करने वाले वाहनों से निम्नलिखित लम्बाई के लिये फीस संग्रहीत की जाएगी :

(i) 115.00 कि.मी. में फीस प्लाजा पर – 119.800 कि.मी लम्बाई के लिए

(ii) 211.00 कि.मी. में फीस प्लाजा पर – 57.500 कि.मी लम्बाई के लिए

(iii) 241.00 कि.मी. में फीस प्लाजा पर* — 48.400 कि.मी. लम्बाई के लिए (*13.20 कि.मी. जयपुर बाईपास जोन डी)

9. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उद्गृहीत और संगृहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

10. रियायतग्राही, नियत तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें नियत तारीख का भी उल्लेख होगा।

11. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भारसाधक अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क प्रयोक्ताओं को असम्यक कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है और उससे संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

12. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी पथकर बूथों से पांच सौ मीटर आगे, पथकर बूथों से सौ मीटर आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार ऐसा होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके।

13. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र सिविमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर कोई टीका टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथाप्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा.सं. एन एच ए आई/13013/416/सी.ओ./08-09/जीसी बिलासपुर (गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर बाईपास) बीओटी]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Raod Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd March, 2009

S.O. 815(E).—Whereas, the Central Government notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 660 (E), dated the 27th September, 1996, S.O. 638 (E) dated 4th September, 1997, and S.O. 572 (E) dated 7th July, 1998, issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), (hereinafter referred to as said Act) the Central Government entrusted the stretches from Km 36.630 to Km 162.500 (Gurgaon to Kotputli Section), Km 162.500 to Km 248.000 (Kotputli to Jaipur Section) and Km 248.000 to Km 273.500 (Jaipur Bypass Section) respectively of National Highways No.8 in the State of Haryana and Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s. Pinkcity Expressway Pvt. Ltd. having its registered office at 10 & 11, Dr. Radhakrishnan Salai, 4th Floor, Chennai City Centre, Mylapore, Chennai-600004 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development of Gurgaon-Kotputli-Jaipur Bypass Section from Km 42.700 to km. 220.500 of National Highway Number 8 and Jaipur Bypass Zone D and C taking off at km 220.500 of NH 8 and merging at km 273.500 of NH 8 (hereinafter referred to as the said stretch) to six lane;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways) Number S.O. 305(E), dated 7th March, 2006, and S.O. 1935 (E) dated 12th November, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the stretch from Km 42.700 to Km 273.500 (Gurgaon-Kotputli-Jaipur Bypass section) of National Highway number 8 in the states of Haryana and Rajasthan at the rate specified in the Schedule annexed hereto and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the appointed date or date of publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

Schedule

The Concessionaire shall collect and retain the fee on mechanical vehicles specified in column (2) of the Table below, for the use of the stretch from Km 42.700 to Km 273.500 of National Highway Number 8 (Gurgaon- Kotputli Jaipur Bypass Section) in the State of Haryana and Rajasthan, at the base rate of fee specified in column (3) of the said Table

TABLE

S. No.	Category of Vehicle	Rate of base fees per vehicle per one way trip per Km. (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1	Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3	Truck/Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)*	2.25

* It shall include Earth Moving Equipment and Heavy Construction Machinery.

Notes :—

1. The fee shall be collected at three fee plazas located at Km. 115.000 (Shahjhanpur), Km. 211.000 (Manoharpur) and at Km. 241.000 (Daulatpur).

2. For the purposes of this notification,—

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said stretch or any part thereof on crossing any fee plaza derived on the basis of,

(a) length of the project highway assigned to a particular fee plaza, and;

(b) base fee given in the Table to this notification, and shall be rounded off to nearest one rupees.

(ii) "appointed date" means the date on which the concession period commences;

(iii) "Local Traffic category I" shall include users falling into any of the following categories

(1) residents of villages or towns or cities whose boundary falls within a radius of ten Km. of the fee collection booths (toll plaza);

(2) establishments or Industrial units located within a radius of ten Km. of the fee collection booths (toll plaza);

(3) employees of Establishments or Industrial units located or which have their office, within a radius of ten Km. of the fee collection booths (toll plaza); and

(4) self employed persons or businessmen having a place of work within a radius of ten Km. of the fee collection booths (toll plaza).

(iv) "Local Traffic category II" shall include local users falling into any of the following categories,

(1) residents of villages or towns or cities whose boundary falls within a radius of more than ten Km. but upto twenty Km. of the fee collection booths (toll plaza);

(2) establishments or Industrial units located within a radius of more than ten Km. but upto twenty Km. of the fee collection booths (toll plaza);

(3) employees of Establishments or Industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten Km. but upto twenty Km. of the fee collection booths (toll plaza) and

(4) self employed persons or business having a place of work within a radius of more than ten Km. but upto twenty Km. of the fee collection booth (toll plaza).

(v) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(vi) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said stretch, shall have the same meaning, as assigned to them respectively in the said agreement.

3. The rate of fee and the revision thereof effective from 1st September every year shall be calculated as follows :

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length (in Km.) assigned to a particular fee plaza.}$$

Where

WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.4).

WPI - B = is the Average Wholesale Price Index for the year ending March 31st preceding the fee revision date.

WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

4. When the same vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at 1.5 times the rates as given in the Table while crossing the toll plaza in the first trip itself. If the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for

1116 GI/09-2

entire month or even beyond that, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty (30) times rate applicable for single trip as applicable to it as specified in the aforesaid Table.

Explanation :—"day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely :—

(i) Vehicles—

(A) having VIP symbols or officially belonging to :

(a) the President of India;

(b) the Vice-President of India;

(c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union Territory;

(d) a Foreign dignitary on State visit to India;

(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD" / "CC" number plates;

(f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or

(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, fire fighting vehicles, ambulances, funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. The Concessionaire shall not collect fees in excess of the following rate, namely :—

(a) Car/Jeep/Van :

(i) Local Traffic Category I : Monthly pass of Rs. 150.00

(ii) Local Traffic Category II: Monthly pass of Rs. 300.00

(b) Buses : monthly passes shall be issued on payment of thirty times of the single journey rates applicable for the said stretch, in case of State Transport buses, on the certification of the competent authority (not below the rank of General Manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying in the route per day and in case of private local operators, on production of their route permit and timetable of the route operation duly certified by the District Transport Authority.

(c) School Buses : Monthly passes for School buses, for school students, crossing the toll plaza at a monthly rate of rupees one thousand after obtaining written request of the school principal along with the recognition of the school and the registration of the bus.

(d) Light Commercial Vehicle or Trucks (Local Transport Operators) : Concessional Fee shall be from Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle. The fee for such transport shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry.

7. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane (s).

8. Fee shall be collected at the fee plaza from the vehicles crossing the fee plaza and using the whole or part of the project highway for the length mentioned as under :

(i) Fee plaza at km. 115.00 for 119.800 km. length

(ii) Fee plaza at km. 211.00 for 57.500 km. length

(iii) Fee plaza at km. 241.00* for 48.400 km. length

(*Km 13.20 of Jaipur Bypass Zone D)

9. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the aforesaid Table.

10. The concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the appointed date, at least ten days prior to the such date.

11. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection who shall be responsible to ensure that fee are collected at not more than the agreed rates and the fee collected is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

12. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed five hundred meters ahead of the toll booths, one hundred meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

13. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/416/CO/08-09/GC Bilaspur (Gurgaon-Kotputli-Jaipur Bypass) BOT

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.